UPBG010051772022

न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, बागपत।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 2019/2022
कम्प्यूटर जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 2386/2022

1. ब्रहमपाल उर्फ क्वालिस पुत्र सतपाल गिरी, निवासी पटटी भुवाला, थाना छपरौली, जनपद बागपत।

...प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

1. उ0 प्र0 राज्य ...अभियोजक।

अ०सं०–368/2021
धारा–3/25/27 आयुद्ध अधि०
थाना–छपरौली,
जिला बागपत।

आदेश

दिनांकः–11–10–2022

प्रार्थी/अभियुक्त ब्रहमपाल उर्फ क्वालिस की ओर से उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में जमानत हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन के अनुसार थाना छपरौली की पुलिस द्वारा दिनांक 16.11.2021 को समय करीब 10.46 बजे मुखबिर की सूचना के आधार पर यमुना खादर गउशाला के पास, थाना छपरौली में अभियुक्त को गिरफतार किया गया तथा उसके कब्जे से कथित हत्या की घटना मु.अ.सं. 361/2021 धारा 302, 120 बी., 506, 34 भा.द.सं., थाना छपरौली में प्रयुक्त एक तमंचा 315 बोर तथा एक जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। उक्त बरामदगी के आधार पर यह प्रकरण अभियुक्त के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उसे झूॅठा फॅसाया गया है। उसने उक्त अपराध नहीं किया है। वह निर्दोष है। उसके कब्जे से कोई अवैध तमंचा बरामद नहीं हुआ है। फर्जी बरामदगी दिखायी गयी है। बरामदगी का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नहीं है। मु.अ.सं. 361/2021 धारा 302, 120 बी. भा.द.सं. के प्रकरण में उसकी जमानत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28.09.2022 को स्वीकार की जा चुकी है। वह दिनांक 16.11.2021 से जेल में है। जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए कथन किया है कि प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से हत्या की घटना में प्रयुक्त तमंचा व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

जमानत प्रार्थना–पत्र पर उभयपक्ष को सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों/पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से कथित हत्या की घटना में प्रयुक्त तमंचा व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद होना बताया गया है। जमानत प्रार्थना–पत्र में उपरोक्त कथन से इंकार प्रकट

करते हुए झूँठा फॅसाया जाना वर्णित है। उल्लेखनीय है कि मुख्य अपराध मु.अ.सं. 361/2021 धारा 302, 120 बी. भा.द.सं. के प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28.09.2022 को स्वीकार की जा चुकी है। कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नहीं है। अभियुक्त दिनांक 16.11.2021 से जेल में है। अतः मामले की परिस्थितयों में प्रार्थी/ अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है।

प्रार्थी/अभियुक्त ब्रहमपाल उर्फ क्वालिस की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु० पच्चीस हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान राशि के दो प्रतिभू, सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि अनुसार दाखिल करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनांकः–11–10–2022

(अवध बिहारी सिंह),
प्रभारी सत्र न्यायाधीश, बागपत।
जे.ओ.कोड–यू.पी. 5897